न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : असलम मेहर आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 351/2018

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
भंवरलाल पुत्र ईसराराम जाति जाट निवासी ग्राम जैतियावास तहसील बावडी जिला जोधपुर		1– श्रीमती गोमती पत्नी नवलाराम जाति जाट निवासी ग्राम जैतियावास, तहसील बावडी जिला जोधपुर 2– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बावडी

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध निर्णय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बावडी जो न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प नेतडा मे प्रकरण संख्या 129/2018 अनवान गोमती बनाम भंवरलाल वगैरा मे दिनांक 25–6–2018 को पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1– श्री नाहर सिह सोलंकी, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री पूनाराम विश्नोई अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से।
3– राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 15–3–2019

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान अपील की रेस्पो0 संख्या 1 गोमती पत्नी नवलाराम जाति जाट निवासी ग्राम जैतियावास तहसील बावडी ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बावडी के समक्ष इस आशय का एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का पेश किया कि ग्राम जैतियावास पटवार मण्डल नांदिया कलां तहसील बावडी के खेत खसरा नंबर 480/4 रकबा 6 बीघा भूमि उसने अप्रार्थी संख्या 1 (वर्तमान अपील के अपीलांट) भंवरलाल के पिता ईसराराम से खरीद की थी, जो उसके नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज है तथा उसके कब्जे काश्त की होने से उक्त खरीदसुदा भूमि पर पत्थरगढी करने का निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बावडी ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25–6–2018 के द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 आर.एल. आर. एक्ट का स्वीकार करते हुए तहसीलदार बावडी को आदेशित किया कि ग्राम जैतियावास स्थित प्रार्थियां के खाते की कृषि भूमि खसरा नंबर 480/4 रकबा 6.00 बीघा भूमि की पत्थरगढी पुलिस ईमदाद के साथ दोनो पक्षो की उपस्थिति मे करवाई जावें । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 25–6–2018 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की है ।

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी । वकील अपीलांट ने अपील मीमों मे वर्णित तथ्यो को अपनी मौखिक बहस मे दोहराया तथा न्यायालय का ध्यान अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही की ओर दिलाते हुए कथन किया

अति० सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 संख्या 1 गोमती द्वारा दिनांक 18–6–2018 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 18–6–18 को ही दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण के सम्मन दिनांक 25–6–2018 की तारीख पेशी के न्याय आपके द्वार केम्प कोर्ट पंचायत नेतडा के जारी हुए तथा अपीलांट का सम्मन स्वयं को तामिल कराये बिना चस्पादगी रिपोर्ट को पर्याप्त तामिल मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये एकतरफा पारित कर दिया, जो न्यायसंगत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे केवल अपीलांट भंवरलाल को ही पक्षकार बनाया जबकि अपीलाधीन भूमि के खातेदार ईसराराम का देहांत दिनांक 4–6–18 को हो चुका था तथा अपीलाधीन भूमि विरासत के नामांतरकरण संख्या 703 जो दिनांक 29–6–2018 को स्वीकृत हुआ था जिसमे अपीलाधीन भूमि मृत ईसराराम के स्थान पर उनके वारिसान के तौर पर भंवरलाल (अपीलांट), रेवतराम पि0 ईसराराम, पतुदेवी, सोहनी, कमला पुत्रियां ईसराराम के नाम दर्ज थे तो इन सभी को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील दूषित (डिफक्टिव) होने से निरस्त योग्य थी परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना इस तथ्य पर गौर किये अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस के दौरान यह भी कथन किया कि अपीलाधीन भूमि पुश्तैनी भूमि होने से पूर्व खातेदार ईसराराम को 6 बीघा भूमि वर्तमान रेस्पो0 गोमती को बेचान करने का अधिकार ही नही था तथा यह भी कथन किया कि अपीलाधीन भूमि बाबत घोषणा का दावा एवं स्थाई निषधाज्ञा का वाद अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बावडी के समक्ष आज भी विचाराधीन है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इन तमाम तथ्यो को नजरअंदाज करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि दिनांक 1–8–2018 की सीमाज्ञान रिपोर्ट मे अपीलाधीन भूमि खसरा नंबर 480/4 रकबा 6 बीघा भूमि का जहां पर सीमाज्ञन करवाने का उल्लेख है, उस स्थान पर अपीलांट की कृषि भूमि आई हुई है एवं यह भी कथन किया कि अपीलांट ने तहसीलदार बावडी के समक्ष ग्राम जेतियावास के उक्त खसरा नंबर 480 की भूमि के संबंध मे किसी प्रकार की पैमाईश/सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी नही करने बाबत दिनांक 1–6–2018 को एक अभ्यावेदन भी पेश किया था परंतु उक्त अभ्यावेदन को नजरअंदाज करते हुए सीमाज्ञान रिपोर्ट पर अपीलांट को सुना नही गया इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने जिस सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह विधिसम्मत नही होने से निरस्त करने का निवेदन किया ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25–6–2018 को निरस्त करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अपीलांट अधिवक्ता की मौखिक बहस के प्रत्युत्तर मे कथन किया कि अपीलांट द्वारा इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत उक्त अपील के साथ फार्म नंबर 3 के सलंग्न कुछ दस्तावेजात पेश किये है, जिनकी ओर न्यायालय का ध्यान दिलाते हुए कथन किया कि ग्राम जेतियावास के खसरा नंबर 480/1 रकबा 8.06 बीघा भूमि अपीलांट के पिता ईसराराम के एकल खातेदारी की थी न कि संयुक्त खातेदारी की इसलिए उक्त भूमि ईसराराम की पैतृक सम्पति नही माना जा सकता तथा खातेदार ईशराराम को अपने खातेदारी की भूमि का बेचान करने का पूर्ण अधिकार होने से उसने उक्त अपीलाधीन भूमि मे से 6 बीघा भूमि का पंजीबद्ध बेचान रेस्पो0 1 श्रीमती गोमती पत्नी नवलाराम के पक्ष मे उसके जीवनकाल मे ही दिनांक 1–5–2018 को कर दिया था तथा उक्त बेचान दस्तावेज के आधार पर रेस्पो0 संख्या 1 श्रीमती गोमती देवी पत्नी नवलाराम जाट के पक्ष मे तहसीलदार बावडी द्वारा नामांतरकरण संख्या 693 स्वीकृत किया गया तथा उक्त खरीदसुदा 6 बीघा भूमि के नये बट्टा नंबर 480/4 पडे।

वकील रेस्पो संख्या 1 ने अपनी बहस मे कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 श्रीमती गोमती द्वारा अपनी खरीदसुदा भूमि की पैमाईश करने बाबत निवेदन करने पर तहसीलदार बावडी के आदेश दिनांक 28–5–2018 की पालना मे दिनांक 1–6–2018 को खसरा नंबर 480/4 की 6 बीघा भूमि का सीमाज्ञान करवाया गया, उक्त सीमाज्ञान के वक्त अपीलांट के पिता ईसराराम स्वयं उपस्थित थे जिनका अंगुठा निशान उक्त सीमाज्ञान रिपोर्ट पर है ।

वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने कथन किया कि अपीलाधीन भूमि की सीमाज्ञान के बाद रेस्पो0 संख्या 1 श्रीमती गोमती ने अपनी खातेदारी की भूमि पर पत्थरगढी करवाने बाबत अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बावडी के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत दिनांक 18–6–2018 को पेश किया, जिसमे अपीलाधीन भूमि के पूर्व खातेदार ईसराराम का देहांत दिनांक 4–6–2018 को हो जाने से उसके पुत्र वर्तमान अपीलांट भंवरलाल पुत्र ईसराराम को एवं तहसीलदार बावडी को पक्षकार बनाया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25–6–2018 को पारित करते हुए प्रार्थियां (वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1) के खाते खसरा नंबर 480/4 रकबा 6.00 बीघा भूमि की पत्थरगढी टीम गठित कर दोनो पक्षो की उपस्थिति मे पुलिस ईमदाद से साथ करने हेतु तहसीलदार बावडी को आदेशित किया है, वह विधिसम्मत होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की अपील केवल ईशराराम के एक पुत्र भंवरलाल ने ही की है जबकि स्व0 ईशराराम के अन्य वारिसान पुत्र, पुत्रियों ने कोई अपील नही की है । वकील रेस्पो0 संख्या 1 के नोटिस उसके आबाद मकान पर चस्पा होने के बावजुद वे अनुपस्थित रहने पर जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह विधिसम्मत होने से अपीलांट की उक्त

अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–6–18 की पालना मे दिनांक 6–7–2018 को पत्थरगढी हो चुकी है ऐसे मे उक्त अपील निष्फल हो चुकी है ।

रेस्पो0 संख्या 2 की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय का समर्थन करते हुए कथन किया कि कोई भी खातेदार अपने खातेदारी की भूमि का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करवाने का अधिकारी है । ऐसे मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अपील पत्रावली के साथ फार्म नंबर 3 के सलंग्न प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानो का भी अध्ययन किया ।

रेस्पो0 संख्या 1 श्रीमती गोमती पत्नी नवलाराम ने ग्राम जेतियावास स्थित खसरा नंबर 480/1 कुल रकबा 8.06 बीघा मे से 6.00 बीघा भूमि जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख रेकर्डेड खातेदार ईशराराम से दिनांक 1–5–2018 खरीद की थी जिसके आधार पर उसका नाम म्युटेशन संख्या 693 के जरिये राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हुआ तथा खसरा नंबर 480/4 पडे । रेस्पो0 संख्या 1 श्रीमती गोमती ने बतौर खातेदार अपने खातेदारी खसरा नंबर 480/4 की 6.00 बीघा भूमि की पैमाईश/सीमाज्ञान करवाने बाबत आवेदन तहसीलदार बावडी को करने पर तहसीलदार बावडी के आदेश दिनांक 28–5–2018 की पालना मे उक्त भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 1–6–2018 को सम्पन्न हुआ तथा उक्त सीमाज्ञान मौका फर्द अपीलाधीन भूमि के पूर्व खातेदार ईशराराम की मौजुदगी मे सम्पन्न हुई तथा फर्द सीमाज्ञान पर ईशराराम स्वयं के अंगुठा निशान है तथा उक्त सीमाज्ञान पर पूर्व खातेदार ईशराराम को कोई आपत्ति नही थी । उक्त सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर रेस्पो0 संख्या 1 ने अपनी खरीदसुदा 6.00 बीघा भूमि की पत्थरगढी करवाने बाबत अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बावडी के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का दिनांक 18–6–18 को पेश किया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय ने बाद सुनवाई के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25–6–2018 के द्वारा उनके समक्ष रेस्पो0 संख्या 1 श्रीमती गोमती द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमे प्रथमदृष्टियां कोई विधिक त्रुटि होना नही पाया जाता है ।

अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

वर्तमान अपील मे अपीलांट का यह कथन कि ग्राम जेतियावास स्थित खसरा नंबर 480/1 की रकबा 8.06 बीघा भूमि खातेदार ईशराराम की पैतृक भूमि थी न कि स्वअर्जित, इसलिए पूर्व खातेदार ईशराराम को अपने हिस्से तक की भूमि का ही बेचान करने का अधिकार था परंतु अपीलाधीन भूमि पैतृक भूमि होने के तथ्य को साबित करने मे अपीलांट अधिवक्ता असफल रहे है जबकि अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात जिनमे ग्राम जेतियावास के म्युटेशन संख्या 703 जिसमे खसरा नंबर 480/1 की 8.06 बीघा भूमि

अकेले ईशराराम पुत्र भोमाराम जाति जाट के खातेदारी मे दर्ज है, ऐसे मे खातेदार ईशराराम को अपने खातेदारी की सम्पूर्ण भूमि का बेचान करने का पूर्ण अधिकार था।

जहां तक अपीलांट का यह कथन कि रेस्पो0 संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे केवल वर्तमान अपीलांट को ही पक्षकार बनाया जबकि मृतक ईशराराम के अन्य विधिक वारिसान भी थे परंतु उनको पक्षकार नही बनाया । इस संबंध मे यह उल्लेखनीय है कि मृतक ईशराराम के अन्य वारिसान ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध कोई अपील नही की है और न ही इस न्यायालय मे भी किसी तरह की कोई उजरदारी पेश की है ।

इसके अलावा यह भी उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय की पालना मे मौके पर दिनांक 6–7–2018 को पत्थरगढी भी हो चुकी है, इस आधार पर भी अपीलांट की यह अपील निष्फल हो चुकी है ।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25–6–2018 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 15–3–2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(असलम मेहर) 15/3/19
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर